

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी)

बनाम श्रीमाधोपुर
 किम्प नुक्रमा श्रीमाधोपुर नं. 23/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
18.12.2024	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी सम्मन तलबाना पेश करने बाबत अवसर चाहते हैं। वकील प्रार्थी को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते पेश होने सम्मन तलबाना आवश्यक रूप से पत्रावली दिनांक 22.12.2024 को पेश हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>
22.12.2024	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर लोक अदालत की भावना से राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>